

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक को जिन्हें क्रमशः आदेश ज्ञापांक-274 दिनांक-17.01.2018 एवं आदेश ज्ञापांक-186 दिनांक-11.01.2018 से निलम्बन से मुक्त किया गया है, को कंडिका-04 में अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने कंडिका-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन सचिवालय मुख्यालय में योगदान की तिथि	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री योगेन्द्र ओझा, पणन पदाधिकारी	भोजपुर	दिनांक- 18.01.2018, (पूर्वाहन)	पणन पदाधिकारी, प्रखंड- सत्तरकटैया, सहरसा
2	श्री सन्दु कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक	पटना	दिनांक- 12.01.2018, (अपराहन)	आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- कुढ़नी, मुजफ्फरपुर

2. उपर्युक्त पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(भरत कुमार डुबे)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०3-स्था०-02-01/2017 916

खाद्य, पटना/दिनांक- 21.02.18

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं कोशी प्रमंडल सहरसा/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण, दरभंगा एवं सहरसा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण, दरभंगा एवं सहरसा/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०3-स्था०-02-01/2017 - 916

खाद्य, पटना/दिनांक- 21.02.18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 08/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।